न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 39/2023

(GCMS 2023/160, RTI No. 21296110796490)

जसवन्त सिंह पुत्र श्री जयमलराम गांव व डाकघर, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)– 335038 (मोबाईल नं. 8947959782)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जसवनत सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2023 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही करते हुए, वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. तहसील, श्रीगंगानगर चक 11 एफ बड़ा द्वितीय में रेलवे, सड़क, खाला, रास्ता, नहर व ट्रस्टी भूमि के क्षेत्रफल की सम्वत् 2035 से पूर्व की प्रमाणित प्रति बाबत।
2. चक 11 एफ बड़ा द्वितीय के मुरब्बा नं. 29/16 के किला नं. 21 व 22 की सम्वत् 2016 के बाद की मिसल बन्दोबस्त या जमाबंदी की प्रमाणित प्रति बाबत।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार(भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भू.अ./आरटीआई/2023/4685 दिनांक 18.09.2023 से अपीलार्थी ने अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सूचना के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./आरटीआई/2023/2233 दिनांक 05.05.2023 को जरिये सूचित कर दिया गया था। पत्र की छाया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 की सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। बिन्दु संख्या 02 में मांगी गई सूचना सम्वत् 2016 से 19 के बाद मिसल बंदोबस्त 2026 से 2035 है, जो प्रार्थी द्वारा नकल प्राप्त करने से इंकार कर दिया गया। पत्र उपतहसीलदार, मिर्जेवाला दिनांक 18.09.2023 संलग्न पत्र हैं अपील संख्य 39/2023 को दफ्तर दाखिल करने का श्रम करें। सूचना श्रीमान्‌जी की सेवा में सादर प्रेषित है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (भू.अ.)
> श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने उक्त पत्रांक 4685 दिनांक 18.09.2023 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे राय या सलाह दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए** तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनओं को सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमानुसार उसे अवलोकन करवा देवें और उसके द्वारा वांछित सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.01 16:03:41 IST
Reason: SelfAttested